रजिस्ट्री सं० डी० 222

REGISTERED No. D. 222

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 2] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 8, 1972/पौष 18, 1893

No. 2] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 8, 1972/PAUSA 18, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4

PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किये गये विधिक नियम और आदेश

Statutory Rules and Orders Issued by the Ministry of Defence

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 23rd December 1971

S.R.O. 7.—In exercise of the powers conferred by section 99A of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Defence No. S.R.O. 317 dated the 19th October, 1968, the Central Government hereby exempts the property known as Defence Services Officers' Institute, Dhaula Kuan, Delhi Cantonment, from the payment of property tax imposed by the Cantonment Board of Delhi, for a further period of three years with effect from the 24th April, 1971.

[No. 53/19/C/L&C/71/3660-C/D(Q&C).]

Explanatory Memorandum

The Defence Services Officers Institute, Dhaula Kuan, Delhi Cantonment, has been built for the welfare of officers of the three Services out of semi Government Funds and is being under official arrangements. It is not a private club and is a "Garrison Institute" for all purposes. As its formal ownership does not vest in Government, it is technically liable to pay property tax.

The Institution is not self-supporting. Considering this fact and in the interest of officers of the three Services, the Central Government had exempted the Institution from payment of the property tax imposed by the Cantonment Board, Delhi, for a period of five years with effect from 24th April, 1966 *vide* S.R.O. No. 317 dated 19th October, 1968. The Central Government has decided to continue the exemption for a further period of three years with retrospective effect from 24th April, 1971 and accordingly a Notification has been published.

S. P. MADAN, Under Secy.

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 23 दिसम्बर 1971

का० नि० आ० 7.—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 99-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना सं० का०नि०आ० 317, तारीख 19 अक्तूबर, 1968 के क्रम में, केन्द्रीय सरकार डिफेन्स सर्विसेज **आफिसर्स इन्स्टीट्यूट**, धौला कुआं, दिल्ली छावनी नामक सम्पत्ति **को**, छावनी बोर्ड, दिल्ली द्वारा अधिरोपित सम्पत्ति-कर के संदाय से, 24 अप्रैल, 1971 से तीन वर्ष की और अवधि के लिए छूट देती है ।

[एफ सी/71/3660-सी/डी (क्यू एण्ड सी)]

व्याख्यात्मक नोट

डिफेन्स सर्विसेज आफिसर्स इन्स्टीट्यूट, धौला कुआं, दिल्ली छावनी का निर्माण तीनों सेवाओं के अधिकारियों के कल्याण हेतु अर्ध सरकारी निधि से किया गया है तथा इसका संचालन सरकारी देख रेख में किया जा रहा है। यह एक निजी क्लब न होकर बहु प्रयोजन हेतु एक गैरिजन इन्स्टीट्यूट है। चूंकि इस संस्थान पर सरकार का औपचारिक स्वामित्व नहीं है अतः तकनीकी दृष्टि से यह इन्स्टीट्यूट कर का देनदार है।

यह संस्थान स्वावलम्बी नहीं है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए तथा तीनों सेवाओं के अधिकारियों के हित में केन्द्रीय सरकार ने का० नि० आ० 317 दिनांक 19 अक्तूबर, 1968 के द्वारा दिनांक 24 अप्रैल, 1966 से पांच वर्ष की अवधि के लिए इस संस्थान को छावनी बोर्ड, दिल्ली द्वारा लगाए गए सम्पत्ति कर से मुक्त कर दिया था। केन्द्रीय सरकार ने इस छूट को पूर्वव्यापी आधार पर दिनांक 24 अप्रैल, 1971 से अगले तीन वर्षों के लिए जारी रखने का निर्णय किया है और तदनुसार एक अधिसूचना प्रकाशित कर दी गई है।

एस० पी० मदान, अवर सचिव।

MILITARY LANDS AND CANTONMENTS

New Delhi, the 23rd December 1971

S.R.O. 8.—The following draft of certain rules further to amend the Military Lands and Cantonments Service (Class I and Class II) Rules, 1951, which the Central Government proposes to make, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (cc) of sub-section (2) of section 280 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), is hereby published as required by sub-section (1) of the said section for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on or after the 29th February, 1972.

Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft before the date aforesaid will be considered by the Central Government.

Draft Rules

1. (1) These rules may be called the Military Lands and Cantonments Service (Class I and Class II) Amendment Rules, 1972.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Military Lands and Cantonments Service (Class I and Class II) Rules, 1951, rule 16 shall be omitted.

S. R. GURUSWAMY, Dy. Secy.

सैनिक भूमि तथा छावनी सेवा

नई दिल्ली, 23 दिसम्बर 1971

का०नि०आ० 9.—सेना भूमि तथा छावनी (वर्ग I और वर्ग—II) नियम, 1951 में और आगे संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिन्हें केन्द्रीय सरकार बनाने की प्रस्थापना करती है छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 280 की उप-धारा (2) के खण्ड (cc) के साथ पठित, उप-धारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त धारा की उप-धारा (1) द्वारा तथा अपेक्षित उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए, जिनका एतद्द्वारा प्रभावित होना संभाव्य है, एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर दिनांक 29 फरवरी, 1972 को या उसके पश्चात् विचार किया जायेगा।

कोई आक्षेप या सुझाव, जो किसी व्यक्ति से उक्त प्रारूप के बाबत पूर्वोक्त तिथि से पूर्व प्राप्त हो सकेंगे, उन पर केन्द्रीय सरकार विचार करेगी।

प्रारूप नियम

1. (1) ये नियम सेना भूमि और छावनी सेवा (वर्ग I और वर्ग II) संशोधन नियम, 1972 कहे जा सकेंगे।

(2) ये शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि को प्रवृत्त होंगे।

2. सेना भूमि और छावनी सेवा (वर्ग I और वर्ग II) नियम, 1951 में नियम 16 को विलोपित किया जायेगा।

एस० आर० गुरुस्वामी, उप सचिव।

CORRIGENDUM

New Delhi, the 24th December 1971

S.R.O. 9.—The following amendments are made to S.R.O. 213 dated the 22nd June, 1971, published in the Gazette of India, Part II, section 4, on 3rd July, 1971:—

For figures 1-A, 4, 10, 11, 13-B, 20, 27, 59, 60, 61, 97-A and 117-B.

Read 1, 1-A, 4, 10, 11, 13-B, 20, 27, 29, 59, 60, 61, 97-A and 117-B.

[File No. 53/36/C/L&C/70/3587-C/D(Q&C)]

S. P. MADAN, Under Secy.

नई दिल्ली, 9 दिसम्बर 1971

का०नि०आ० 37—ई०.—भारत रक्षा नियम, 1971 के नियम 96 के उप नियम (1) के खण्ड (क) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार नीचे की सारणी के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट किए गए व्यक्तियों को उक्त नियमों में ऐसे नियमों के अधीन, जो उक्त सारणी के स्तम्भ 2 की तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट किए गए हैं, सक्षम प्राधिकारी की शक्तियां प्रयोग करने के लिए एतद्द्वारा नियुक्त करती है।

सारणी

1	2
(1) वायु-सेनाध्यक्ष। वायुसेना उपाध्यक्ष। एयर आफिसर इंचार्ज अनुरक्षण वायु मुख्यालय।	97, 98
किसी वायु सेना कमान का एयर आफिसर कमांडिंग-इन-चीफ।	99 और 105

1	2	2
संक्रिया—क्षेत्रों में, क्षेत्र में वायुसेनाओं का समादेशन करने वाला आफिसर ।		संक्रिया—क्षेत्रों में, क्षेत्र में वायुसेनाओं का समादेशन करने वाला आफिसर, और, जब उसके द्वारा प्राधिकृत किया गया हो तो अन्य आफिसर, जो ग्रुप कप्तान की रैंक से नीचे की रैंक का न हो, जो किसी वायुसेना यूनिट का समादेशन कर रहा हो ।
मौसम विज्ञान निदेशक, वायु मुख्यालय ।		
किसी वायुसेना उपस्कर, मरम्मत और अनुरक्षण डिपो या किसी विंग या स्टेशन का समादेशन करने वाला आफिसर, परन्तु यह तब जब कि वह ग्रुप कप्तान की रैंक से नीचे की रैंक का न हो ।		
(2) वायु-सेनाध्यक्ष ।		
वायुसेना उपाध्यक्ष ।		
किसी वायुसेना कमान का एयर आफिसर कमांडिंग-इन-चीफ ।	104	

[वायु मुख्या०/25431/3/एल जी एल]

एम० सि० करियप्पा, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972